प्रेस नोट दिनांक 19–08–2019

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नगर के माधवनगर क्षेत्र में 02 व्यक्तियो की गोली मारकर की गई हत्या में नामजद अभियुक्ता को बाल अपचारी सहित किया गिरफ्तारः–

अवगत कराना है कि दिनांक 18–08–2019 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के माधवनगर में 1–आशीष धीमान 2–आशुतोष धीमान निवासीगण ग्राम माधवनगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर की उनके पडोसी महिपाल व उसके पुत्र सूरज सैनी, सन्नी सैनी व गौरव सैनी ने मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। उक्त घटना में अभियुक्त महिपाल की पत्नी श्रीमती विमलेश सैनी व पुत्री बाल अपचारी वर्षा सैनी भी शामिल थी। जिसके सम्बन्ध में मृतक की मॉ श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व0 प्रवीण निवासी ग्राम माधवनगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 285/2019 धारा 147/148/149/452/302/307/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया तथा क्राइम ब्रांच के अलावा 08 टीमो को गठित कर अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 19–09–2019 को अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री विनीत भटनागर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री रजनीश कुमार उपाध्याय के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस के अथक प्रयासो से उक्त घटना में नामजद 02 अभियुक्ता 1–श्रीमती विमलेश सैनी पत्नी महिपाल सैनी निवासी माधवनगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर उम्र करीब 43 वर्ष 2–बाल अपचारी वर्षा सैनी पुत्री महिपाल सैनी निवासी माधवनगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर उम्र करीब 14 वर्ष को घंटाघर से समय 07.00 बजे प्रातः गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्ता के नाम व पताः–

1–श्रीमती विमलेश सैनी पत्नी महिपाल सैनी निवासी माधवनगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर। उम्र करीब 43 वर्ष।

2–बाल अपचारी वर्षा सैनी पुत्री महिपाल सैनी निवासी माधवनगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर। उम्र करीब 14 वर्ष।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्ता विमलेश सैनी उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 18–08–2019 को प्रातः नाले में गाय का गोबर बहाने को लेकर हमारे पडोसी 1–आशीष धीमान 2–आशुतोष धीमान से गाली गलौज व मारपीट हो गई थी। जिस पर मेरे पति महिपाल व पुत्र सूरज सैनी, सन्नी सैनी व गौरव सैनी ने मिलकर घर में घुसकर आशीष धीमान व आशुतोष धीमान को गोली मार दी और वहां से भाग गये। आज मै व मेरी पुत्री भागने की फिराक में थे कि पुलिस द्वारा पकड़े गये। अभियुक्ता से विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–श्री बिरेश गिरि थाना प्रभारी कोतवाली नगर, सहारनपुर।
2–का0 495 विकास कुमार थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
3–म0का0 1794 पुष्पा थाना कोतवाली नगर, सहारपुर।
4–म0का0 1786 भारती थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 19–08–2019

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 03 शातिर वाहन चोरो को चोरी की 03 मोटर साइकिल सहित किया गिरफ्तारः–

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वाहन चोरो के विरुद्व चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19–08–2019 की रात्रि 01.30 बजे थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान काशीराम कालोनी वाले रास्ते से पास से 03 शातिर वाहन चोर 1–नीटू पुत्र चन्दसैन निवासी मौ0 गलीरा चौक थाना सदर बाजार, सहारनपुर 2–आकाश पुत्र मान सिंह निवासी मौ0 गलीरा चौक निकट गुडसैंपड़ स्कूल थाना सदर बाजार, सहारनपुर 3–इन्द्रपाल पुत्र भवन सिंह निवासी मौ0 गलीरा चौक थाना सदर बाजार, सहारनपुर को चोरी की एक स्पलेण्डर मोटर साइकिल नं0 यूपी 11 एएन–0268 सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तो की निशादेही पर काशीराम कालोनी के पास झाड़ियो से चोरी की 02 अन्य मोटर साइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त नशे की लत के कारण वाहन चोरी करते है। गिरफ्तार अभियुक्तो के सम्बन्ध में जनपद/थानो से आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पताः–

1–नीटू पुत्र चन्दसैन निवासी मौ0 गलीरा चौक थाना सदर बाजार, सहारनपुर।

2–आकाश पुत्र मान सिंह निवासी मौ0 गलीरा चौक निकट गुडसैंपड़ स्कूल थाना सदर बाजार, सहारनपुर।

3–इन्द्रपाल पुत्र भवन सिंह निवासी मौ0 गलीरा चौक थाना सदर बाजार, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

1–स्पलेण्डर मोटर साइकिल नं0 यूपी 11 एएन–0268।

2–बजाज डिस्कवर मोटर साइकिल बिना नम्बर की।

3–हीरो होण्डा सीडी डीलक्स मोटर साइकिल बिना नम्बर की।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तो ने बरामद स्पलेण्डर मोटर साइकिल को 20–25 दिन पहले जिला अस्पताल से व दूसरी बजाज डिस्कवर मोटर साइकिल को जीएनजी मॉल थाना क्षेत्र सदर बाजार से तथा तीसरी हीरो होण्डा सीडी डीलक्स मोटर साइकिल को पंत बिहार कालोनी थाना क्षेत्र सदर बाजार से चोरी करना स्वीकार किया है, जिनके सम्बन्ध में जानकारी जुटाई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं। अभियुक्तो से विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर।

2–उ0नि0 श्री सोहनवीर सिंह थाना सदर बाजार, सहारनपुर।

3–उ0नि0 श्री राधेश्याम भारती थाना सदर बाजार, सहारनपुर।

4–का0 1136 दीपक कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर।

5–का0 2074 कपिल कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 19–08–2019

थाना कोतवाली नगर के माधवनगर में 02 व्यक्तियो की गोली मारकर की गई हत्या में नामजद अभियुक्तो पर 25–25 हजार रुपये का ईनाम घोषित, अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु क्राइम ब्रांच समेत 08 टीमे गठित कर अलग–अलग स्थानो पर लगातार दबिश जारीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 18–08–2019 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के माधवनगर में 1–आशीष धीमान 2–आशुतोष धीमान निवासीगण ग्राम माधवनगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर की 06 लोगो द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके सम्बन्ध में मृतक की माताजी श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व0 प्रवीण निवासी ग्राम माधवनगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 285/2019 धारा 147/148/149/452/302/307/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया है। **घटना की जानकारी प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस व उच्चाधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुँचे तथा मौके पर मौजूद लोगो से की गई पूछताछ में हत्या का तात्कालिक कारण गोबर डालने का विवाद बताया गया है।**

- उक्त घटना के उपरान्त आक्रोशित भीड़ द्वारा हत्यारोपित के मकान पर आग लगाने का प्रयास किया गया था, जिसको पुलिस बल द्वारा रोका गया था। लाठी चार्ज नही किया गया था।
- सोशल मीड़िया से यह जानकारी मिली है कि 02 वर्ष पहले आशीष धीमान (पत्रकार) द्वारा किसी समाचार–पत्र में अभियुक्त महिपाल सैनी के विरुद्व शराब बेचने की खबर प्रकाशित की गई थी और यह भी बताया गया है कि वह मोहल्ले में शराब बेचने का कारोबार करता है। परन्तु अभी तक की जांच में ऐसा कोई भी तथ्य प्रकाश में नही आया है, जिससे यह निश्चित् रुप से कहा जा सके कि उसके द्वारा ऐसा कारोबार किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में थाने पर भी कोई सूचना किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके विरुद्व नही दी गई है। फिर भी यदि कोई तथ्य प्रकाश में आता है और इस तरह के कारोबार में लिप्त होना पाया जाता है तो उसके विरुद्व उपरोक्त अभियोगो के अतिरिक्त कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त **1–महिपाल सैनी पुत्र जगदीश सैनी निवासी ग्राम मुन्नुगढ थाना झिंझाना, शामली, हालपता–मोहल्ला माधवनगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर 2–सूरज सैनी पुत्र महिपाल सैनी निवासी ग्राम मुन्नुगढ थाना झिंझाना, शामली, हालपता–मोहल्ला माधवनगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर** की गिरफ्तारी पर **25–25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया है** तथा अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु **क्राइम ब्रांच समेत 08 टीमो को गठित किया गया है।** गठित टीमो द्वारा अलग–अलग स्थानो पर लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही अभियुक्तो की गिरफ्तारी सुनिश्चित् की जायेगी।

प्रेस नोट

थाना नकुड पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत दिनांक 19.8.19को एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है।

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार मय हमराही का0 804 शहजाद अली द्वारा वारन्टी अभि0 प्रीतम पुत्र मुसद्दी निवासी मौ0 गुहा कस्बा अम्बैहटापीर थाना नकुड जिला सहारनपुर, सम्बन्धित वाद सं0 2211/18 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद- सहारनपुर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से वाँछित चल रहा था अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

प्रेस नोट

थाना नकुड पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत दिनांक 19.08.19को एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है |

1.उ0नि0 श्री गुलवीर सिंह मय हमराही हो0गार्ड 1788 धर्मसिंह के द्वारा अभियुक्त मोनू पुत्र नेत्रपाल निवासी गोविन्दगढ थाना नकुड जिला सहारनपुर,, को **ग्राम गोविन्दगढ से ही अभियुक्त के मस्कन से आज दिनांक 19.08.2019 को समय 11.00** बजे गिरफ्तार किया गया है जो थाना हाजा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0 304/19 धारा 279/304ए भादवि वाछिंत चल रहा था।

2.उ0नि0 श्री दिनेश कुमार हमराही का0 218 पुनीत सिंह के द्वारा अभियुक्त राज कुमार पुत्र बिरम निवासी ढायकी थाना नकुड जिला सहारनपुर, को **ग्राम ढायकी से अभियुक्त के मस्कन से आज दिनांक 19.08.2019 को समय 07.15** बजे गिरफ्तार किया गया है जो थाना हाजा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0 89/19 धारा 60 आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि से वाछिंत चल रहा था।